

वर्ष 2024-25 के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% प्रति वर्ष की दर से 3 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान (सबवेंशन) का दावा

बैंक का नाम:

..... से की अवधि के लिए दावों का विवरण : रु.3 लाख तक का संवितरित/बकाया ऋण

..... से की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते		 तक बकाया (पिछली अवधि के अंत में)		 तक कुल बकाया		ब्याज सबवेंशन की राशि @4.5%
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि

ब्याज अनुदान (सबवेंशन) का लाभ उठाने वाले विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ब्याज सबवेंशन की राशि

कृपया नोट करें: संख्या (सं.) और राशि वास्तविक आंकड़ों में

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं वर्ष 2024-25 में उक्त संवितरण / बकाया पर महिला एसएचजी को दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर प्रति वर्ष 7% की दर पर ब्याज प्रभारित किया गया था। हम प्रमाणित करते हैं कि खाते आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं और बैंक ने सीबीएस पर इन सभी खातों को 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी' के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि शाखा स्तर से ब्याज सबवेंशन दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है।

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

(यह दावा प्रारूप, वर्ष के लिए समेकित, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए और 30 सितंबर 2025 के भीतर 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले तिमाही के दावों के साथ प्रस्तुत किया जाए।)